संख्या–353/XXVII(7)02/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 2 अक्टूबर, 2019

विषयः राज्य सरकार के पूर्णकालिक नियमित राज्य कार्मिकों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य मंहगाई भत्तें की दरों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–79/XXVII(7)02/2016 दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है तथा जिन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 12% की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य है, को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/3/2019–ई.II(B) दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के क्रम में उक्त के स्थान पर दिनांक 01 जुलाई, 2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 17% की दर से मंहगाई भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2019 से नकद भुगतान किया जायेगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

3. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत लागू रहेंगे।

4. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned by CamScanner

5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं अपने स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
10. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
14. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
17. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
18. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
19. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
20. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner